डिक्री ब मुकदम इब्तदाइ

(ऑर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Applendix 'D'-1)

अज अदालत सहायक कलक्टर सेडवा मुकाम सेडवा

व इजलास ***श्री बद्रीनारायण विश्नोई, आर.ए.एस.***

वादीगण – 1. रघुदेवी पुत्री काभू पत्नी मीरखाराम जाति भील, निवासी ढोक, तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर।

बनाम

प्रतिवादीगण – 1. काभू पुत्र काछबा 2. भगुराम पुत्र काभू जाति भील, निवासी समों की ढाणी, तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर।
3. राज्य सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार सेड़वा।

वाद बाबत 88,91,188 RT Act.

मुकदमा नं. 174/2023

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू.ब.रू. **न्यायालय** बहाजरी **श्री शाकर खां** एड. **श्री मोहनलाल खिलेरी** मिनजानिब मुदाई व मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है **कि मौजा समों की ढाणी पटवार हल्का चिचड़ासर तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर खेत खसरा संख्या 422/151 रकबा 0.7932 हैक्टेयर, खसरा संख्या 434/156 रकबा 1.3516 हैक्टेयर, खसरा संख्या 680/611 रकबा 0.9552 हैक्टेयर कुल रकबा 3.1000 हैक्टेयर भूमि में वादीनी को 1/3 हिस्से की खातेदारी घोषित किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 01 व 02 का भी 1/3–1/3 हिस्सा घोषित किया जाता है।** उपरोक्त अनुसार तहसीलदार सेड़वा को आदेशित किया जाता है कि उपरोक्त निर्णय के अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद कर पालना सुनिश्चित करे। डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय आज दिनांक 07/05/2025 को खुले न्यायालय में सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर होकर नम्बर से कम हो।

.... बीज .... मबलिग .... बाबत ....पर्चा इस मुकदमे के मय सुद व शरह .... फीसदी सालाना आज ही तारीख से तारीख व सूलप्रार्थी तक .... को अदा करे।

कसास मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक .... को जारी की गई।

दस्तखत. सहायक कलक्टर

ओहदा ....(SDO) सेड़वा

मुहर

मुदई	रूपया	पै.	मुदायलाह	रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदाया स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प सबूत पइमनामा वकील खर्चा गवाहान फीस कमीश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक			स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वर्जी महनताना वकील) पर खर्चा गवाहान फीस कमीश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान		
मीजान					

नोट :– इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा दर दो फरीकेन का चाहे बिकरी ... दिलावे .... करना।

Signature Not Verified

Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2025.06.05 14:34:43 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सेड़वा जिला बाड़मेर

राजस्व वाद सं. 174/2023
पीठासीन अधिकारी –श्री बद्रीनाराण विश्नोई, आर.ए.एस

अन्तर्गत धारा 88,91,188 रा.का.अ.

वादीगण – 1. रघुदेवी पुत्री काभू पत्नी मीरखाराम जाति भील, निवासी ढोक, तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर।

बनाम

प्रतिवादीगण – 1. काभू पुत्र काछबा 2. भगुराम पुत्र काभू जाति भील, निवासी समों की ढाणी, तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर।
3. राज्य सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार सेड़वा।

अधिवक्तागण – वादीगण वकील – **श्री शाकर खान**
प्रतिवादी संख्या 01 :– **श्री मोहनलाल खिलेरी**

निर्णय

दिनांक :– 07/05/2025

वादी के वाद संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीनी के दादा स्व. काछबा की पैतृक भूमि मौजा समों की ढाणी पटवार हल्का चिचड़ासर तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर में खेत खसरा संख्या 422/151 रकबा 0.7932 हैक्टेयर, खसरा संख्या 434/156 रकबा 1.3516 हैक्टेयर खसरा संख्या 680/611 रकबा 0.9552 हैक्टेयर कुल रकबा 3.1000 हैक्टेयर की आई हुई है जो वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 01 की खातेदारी में दर्ज हैं। स्व. काछबा के वादीनी व प्रतिवादी संख्या 01 व 02 सहित कुल तीन वारिस होने से हिन्दू उतराधिकार अधिनियम अनुसार वादीनी का उक्त वादग्रस्त भूमि में 1/3 हिस्सा खातेदारी में बनता है। वादीनी का अपने 1/3 हिस्से की भूमि पर मौके पर कब्जा–काश्त भी हैं चुंकि वादीनी प्रतिवादी संख्या 01 की जायन्दा पुत्री है और उक्त समस्त भुमि वादीनी के बाप दादाओं की पैतृक भुमि हैं हिन्दू उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार हिन्दू पुरूष की जायन्दा संतान को विधि अनुसार जन्म से ही सहदायिकी अर्थात पैतृक सम्पति में जन्म से ही अधिकार प्राप्त हो जाता है एवं राजस्व विभाग राजस्थान द्वारा दिनांक 08.01.2007 को एक अधिसूचना क्रमांक 97/18 प्रकाशित कर पैतृक भूमि में जायन्दा संतान अपने पिता के जीवनकाल में

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2025.06.05 14:34:43 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर सेड़वा (मोहर)

सहायक कलक्टर
(SDO) सेड़वा

अपने हिस्से की घोषणा करवा सकता है को विधि मान्यता प्रदान करते हुए धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत घोषणा के दावे द्वारा अपने हिस्से की घोषणा करवाने के अधिकार दिये वादग्रस्त भूमि पैतृक भूमि है इसलिए वादग्रस्त भूमि मौजा समों की ढाणी पटवार हल्का चिचड़ासर तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर में खेत खसरा संख्या 422/151 रकबा 0.7932 हैक्टेयर, खसरा संख्या 434/156 रकबा 1.3516 हैक्टेयर, खसरा संख्या 680/611 रकबा 0.9552 हैक्टेयर कुल रकबा 3.1000 हैक्टेयर में वादीनी अपना 1/3 हिस्सा अपनी खातेदारी में होना घोषित करना चाहती है। वादीनी का नाम राजस्व रेकर्ड में नहीं होने की वजह से प्रतिवादीगण वादीनी को जबरन ताकत के बल पर बेदखल करना चाहते हैं इसलिए प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के पाबन्द करवाना चाहती हैं कि वे वादीनी के कब्जा–काश्त में किसी प्रकार की दखलान्दाजी नहीं करे एवं मौके एवं रेकर्ड की यथास्थिति बनाए रखे जिस हेतू उक्त वाद वास्ते स्थायी निषेधाज्ञा का श्रीमान जी के न्यायालय में पेश है। वादग्रस्त भुमि मौजा समों की ढाणी पटवार हल्का चिचड़ासर तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर खेत खसरा संख्या 422/151 रकबा 0.7932 हैक्टेयर, खसरा संख्या 434/156 रकबा 1.3516 हैक्टेयर, खसरा संख्या 680/611 रकबा 0.9552 हैक्टेयर कुल रकबा 3.1000 हैक्टेयर भूमि में वादीनी को 1/3 हिस्से की खातेदारी घोषित किया जावें।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण के नोटिस तामिलशुदा प्राप्त होने पर प्रतिवादी संख्या 01 की तरफ से अधिवक्ता मोहनलाल खिलेरी ने मय इकबालिया जवाब पेश किया तथा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 के द्वारा आपसी राजीनाम प्रस्तुत किया जिससे शामिल पत्रावली किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 02 के नाटिस तामिलशुदा प्राप्त होने के बावजुद कोई उपस्थित नहीं हुआ। अतः उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी जाती हैं।

उभयपक्षरान वकील उपस्थित। उभयपक्षरान के वकील की बहस सुनी गई। पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया। पत्रावली पर सलंग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जिसके आधार पर स्पष्ट होता है कि वादीगण का वाद प्रारम्भिक रूप से स्वीकार करने योग्य है।

अतः <u>मौजा समों की ढाणी पटवार हल्का चिचड़ासर तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर खेत खसरा संख्या 422/151 रकबा 0.7932 हैक्टेयर, खसरा संख्या 434/156 रकबा 1.3516 हैक्टेयर, खसरा संख्या 680/611 रकबा 0.9552 हैक्टेयर कुल रकबा 3.1000 हैक्टेयर भूमि में वादीनी को 1/3 हिस्से</u>

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2025.06.05 14:34:43 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर सेड़वा

सहायक कलक्टर
(SDO) सेड़वा

...दारी घोषित किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 01 व 02 का भी 1/3—1/3 हिस्सा घोषित किया जाता है। उपरोक्त अनुसार तहसीलदार सेंड़वा को आदेशित किया जाता है कि उपरोक्त निर्णय के अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद कर पालना सुनिश्चित करे। डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय आज दिनांक 07.05.2025 को खुले न्यायालय में सरे इजलास सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर होकर नम्बर से कम हो।

07.05.2025

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी सेड़वा

Signature Not Verified

Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2025.06.05 14:34:43 IST
Reason: SelfAttested